

राजस्थान सरकार
उपनिवेशन विभाग

क्रमांक : प. 3(38)उप/2000 पार्ट-5

जयपुर, दिनांक : 26/2/14

अधिसूचना

इस विभाग की सम-संख्यक अधिसूचना दिनांक 28.03.2013 के क्रम में राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्तें, 1955 की शर्त संख्या 15ए द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उपनिवेशन क्षेत्र की समस्त परियोजनाओं के काश्तकारों (सभी श्रेणी के आवंटियों यथा सामान्य आवंटन, विशेष आवंटन व मोहरबंद नीलामी द्वारा आवंटन आदि) को आवंटित भूमि की कीमत के पेटे बकाया समस्त किश्तों को दिनांक 31.12.2013 तक एक मुश्त जमा कराने पर उस पर देय ब्याज की राशि की शत-प्रतिशत छूट प्रदान की गई थी जिसकी अवधि दिनांक 30 जून, 2014 तक ओर बढ़ाई जाती है।

उक्त अधिसूचना वित्त विभाग की सहमति आई.डी.संख्या एफ 14001676 दिनांक 24.02.2014 के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

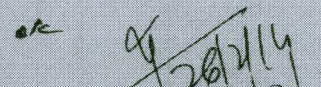

(राकेश राजोरिया)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैं :-

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री (उपनिवेशन मंत्री) सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. आयुक्त, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर।
6. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
7. निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।

✓ 8. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान जयपुर को भेजकर लेख है कि इसका प्रकाशन राजस्थान राजपत्र में करवाकर प्रति भिजवाने का श्रम करावे।

9. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव